**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड**

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

**UPHP010042562026**

**Bail Application/1224/2026**

**Maganwati Vs. State of U.P.**

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1224/2026**

मगनवती पत्नी सोमनाथ गिरी, निवासी अहमदपुर नया गांव , थाना पिलखुवा, जिला हापुड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। मु0अ0सं0 569/2025

अ0 धारा–110,191(2),191(3),115(2),352,351(3), बी0एन0एस0, व 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधि0), थाना – पिलखुवा ,जिला हापुड़ ।

02.06.2026

प्रार्थनी/अभियुक्ता मगनवती पत्नी सोमनाथ गिरी की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में अर्न्तगत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थनी/अभियुक्ता निर्दोष है। प्रार्थनी/अभियुक्ता के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त केस के वादी द्वारा उक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पंजीकृत करायी गई है, जिसमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि एफ०आई०आर० में वर्णित दूसरे पक्ष के रामवीर पुत्र रूपराम, नीरज पुत्र देशराज, हेमन्त पुत्र रामवीर, लोकेश पुत्र रामवीर, केशव पुत्र चेतन, दीपक पुत्र रामवीर, रेखा पत्नी सत्यवीर आदि ने प्रार्थनी/अभियुक्ता व उसके पति सोमनाथ, पुत्र जितेन्द्र, कैलाश, विजयपाल आदि परिजनों के साथ लाठी डण्डो व धारदार हथियारों से दिनांक 02–10–2025 की रात्रि करीब 11.30 बजे गम्भीर रूप से मारपीट करके प्राणघातक चोटे पहुंचायी थी, जिसमें प्रार्थनी/अभियुक्ता के सिर में गम्भीर व प्राणघातक चोट आयी थी तथा किसी व्यक्ति की सूचना पर गाँव में पुलिस आ गई थी और पुलिस दोनों पक्षों के व्यक्तियों व प्रार्थनी/अभियुक्ता को थाने ले गई थी। प्रार्थनी/अभियुक्ता व उसके पति सोमनाथ व पुत्रों जितेन्द्र आदि द्वारा मुल्जिमान उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा कायम कराने हेतु थाने पर प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलकर प्रार्थनी/अभियुक्ता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और दोनों पक्षों का शान्ति भंग में चालान कर दिया तथा प्रार्थनी/अभियुक्ता की ओर से कार्यवाही ना करते हुये दोनों पक्षों का आपसी झगडा विवाद बताकर वास्तविक घटना के विपरीत

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.03 16:45:43 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

उक्त झूठी रिपोर्ट चर्ज कर दी। प्रार्थनी/अभियुक्ता का पुलिस द्वारा मैडिकल भी सरकारी अस्पताल में कराया गया था, जिसमें प्रार्थनी/अभियुक्ता के सिर में टम्परेली 3 टांके भरे गये थे, लेकिन बाद में सिर की प्राणघातक चोट होने तथा सिरधदिमाग में खून का थक्का जम जाने के कारण प्रार्थनी/अभियुक्ता के सिर का ऑपरेशन भी किया गया। सिर की प्राणघातक चोट के कारण प्रार्थनी/अभियुक्ता की जान जाते हुये बची है। प्रार्थनी/अभियुक्ता दौराने विवेचना धारा 35 (3) बी०एन०एस०एस० के नोटिस पर रिहा है तथा धारा 35(3) बी०एन०एस० में लगायी गई सभी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। उक्त केस में पुलिस द्वारा मनमानी विवेचना करके आरोप पत्र प्रार्थनी/अभियुक्ता के विरूद्ध विचारण न्यायालय में दाखिल कर दिया है । प्रार्थनी / अभियुक्ता से किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ शेष नहीं है और ना ही कोई रिकवरी की जानी शेष है एवं हिरासत में रखने का कोई औचित्य है। उपरोक्त कथित अपराध 07 वर्ष की अवधि के कारावास से अनाधिक है। जिस कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा " Satender Kumar Antil Vs- Cenrtal Bureau of Investigation and another reported in (2021) 10 SCC 773 को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थनी/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान की जानी आवश्यक है। प्रार्थनी/अभियुक्ता दौरान विचारण, नियत तिथियों पर विचारणा न्यायालय के समदा आती रहेगी और केस के विचारण में पूर्णतः सहयोग करेगी। उक्त केस में प्रार्थनी/अभियुक्ता के विरूद्ध कोई ठोस व यकीन किये जाने योग्य साक्ष्य नहीं हैं। प्रार्थनी/अभियुक्ता सभ्य, सामाजिक व सम्मानित परिवार का सदस्या है, ना ही पूर्व में किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती है। प्रार्थनी/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों भिज्ञ कित्ती व्यक्ति का कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके। प्रार्थनी/अभियुक्ता आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगी। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थनी अभियुक्ता को गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है, इसलिये प्रार्थनी अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है। प्रार्थनी/ अभियुक्ता के द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र पेश कराया गया है। इसलिये प्रार्थनी/अभियुक्ता के भागने या न्यायालय क्षेत्र छोडने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थनी/अभियुक्ता मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित धनराशि का बन्धपत्र तथा प्रतिभू अग्रिम जमानत हेतु अदा करने को तैयार है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि प्रार्थनी/अभियुक्ता का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थनी/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अनुसार अग्रिम जमानत में न्यायालय

निम्नलिखित बातें पर विचार करेगी–

(1) अभियेाग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ।

है।

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता और

(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

फर्द गिरफ्तारी 08 नफर अभियुक्तगण व बरामदगी 03 अदद सरिया व 02 अदद डण्डे सम्बन्धित धारा 110,191(2), 191(3), 115(2), 352,351 (3) बीएनएस व 7 सीएलए थाना पिलखुवा जनपद हापुड के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' दिनाकं 02.10.2025 को मैं उ0नि0 दिनेश चन्द्र गौतम शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, रामलीली ड्यूटी ने थाना क्षेत्र में मामूर था कि जरिये आरटी सैट व डायल 112 एवं थाना हाजा से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अहमदपुर नया गांव में दो पक्षो में मारपीट हो रही है सूचना पर मुझ उ0नि0 द्वारा उ0नि0 अनुज पराशर, म०उ०नि० रेखा भदौरिया, है०का० नरेन्द्रपाल, है०का0 592 विजेन्द्र सिंह, है०का0 470 सुनील शर्मा व का0 935 अजय कुमार को तलब किया गया उपरोक्त कर्मचारीगण तलबिदा उपस्थित आये जिन्हे साथ लेकर ग्राम अहमदपुर नया गांव समय करीब 11.45 बजे रात्रि पहुंचा तो देखा ग्राम अहमदपुर नया गाँव मे पर करीब 20–25 लोग एक राय होकर हाथी में लाठी, डन्डौं, सरिया लेकर आपस में एक–दूसरे के सरिया, लाठी, डण्डो से वार कर रहे थे और आपस में गाली गलोच व भारपीट कर एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिससे मौहल्ले में दहशत को माहौल बन गया था तथा मौहल्ले के लोगो द्वारा भय के कारण अपने घरो के दरवाजे बन्द कर लिये गये। हमारे काफी समझाने पर भी झगड़ा कर रहे दोनो पक्ष नहीं माने तब मुझ उ0नि0 ने जरिये दूरभाष से थाने से अतिरिक्त फोर्स गांव में भेजने के लिये बताया और उक्त सूचना पर थाना मोबाइल उ0नि0 श्री झम्मन सिंह मय कर्म० गण का0 781 सनी कुमार व का0 25 सौरभ मय चालक है०क0 52 वीरेश कुमार के मौके पर पहुँच गये, मुझ उ0नि0 ने मय कर्मचारीगण के साथ मौके पर भीड को धमकाकर तितर बितर किया तथा भीड के हटने के बाद मौहल्ले के डरे सहमे लोगों में हिम्मत बांधते हुए दोनों पक्षों में से घायल बेहोस अवस्था में पड़े प्रथम पक्ष 1. सोमनाथ पुत्र मन्टूरी 2. जितेन्द्र पुत्र सोमनाथ, 3. कैलाश पुत्र सोमनाथ 4. विजयपाल पुत्र सोमनाथ 5. मगनवती पत्नी सोमनाथ समस्त निवासीगण ग्राम अहमदपुर नया गांव व 6. रोहित पुत्र अजीत 7. अनुज पुत्र भीमसैन निवासीगण मौहल्ला शुकलान कस्वा व थाना पिलखुवा व द्वितीय पक्ष 1. रामवीर पुत्र रूपराम 2. नीरज पुत्र देशराज 3. हेमन्त पुत्र रामवीर, 4. लोकेश पुत्र रामवीर 5. केशव पुत्र चेतन

6. दीपक पुत्र रामवीर 7. रेखा पत्नी सत्यवीर निवासी गण ग्राम अहमदपुर नया गांव थाना पिलखुवा जनपद हापुड लाठी डंडो एवं सरिया से एक दूसरे पर वार करने के कारण दोनो पक्षों के काफी चोटें आई है व अभि० केशव सोमनाथ, विजयपाल व अभि० रामवीर उपरोक्त व कुछ व्यक्ति मौके से भागने मे कामयाब रहे। जो व्यक्ति घायल अवस्था में है जान माल की हानि के बचाव हेतु मजरूबो`का डाक्टरी उपचार कराया गया, उपचार कराने के उपरान्त मौके पर झगडा करने वाले दोनों पक्षो में से प्रथम पक्ष के 1. सोमनाथ पुत्र मन्दूरी 2. जितेन्द्र पुत्र सोमनाथ, 3. कैलाश पुत्र सोमनाथ 4. विजयपाल पुत्र सोमनाथ 5. मगनवती पत्नी सोमनाथ समस्त निवासीगण ग्राम अहमदपुर नया गांव व 6. रोहित पुत्र अजीत 7. अनुज पुत्र भीमसैन निवासीगण मौहल्ला शुकलान कस्वा व थाना पिलखुवा व द्वितीय पक्ष 1. रामवीर पुत्र रुपराम, 2. नौरज पुत्र देशराज, 3. हेमन्त पुत्र रामवीर, 4.लोकेश पुत्र रामवीर 5. केशव पुत्र चेतन 6. दीपक पुत्र रामवीर 7. रेखा पत्नी सत्यवीर निवासी गाग ग्राम अहमदपुर नया गांव थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ का यह कृत्य जुर्म धारा 110,191(2),191(3), 115(2),352,351 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट की हद को पहुंचता है, उपरोक्त दोनों पक्ष झगडालू किस्म के लोग है। और इनकी आम शोहरत भी अच्छी नहीं है और दोनों पक्षो में आपस में बहुत कसीदगी है और कोई भी संगीन घटना घटित हो सकती है और मौहल्ले में एलानिया एक दूसरे को देख लेने की बात कह रहे हैं और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 1. जितेन्द्र पुत्र सोमनाथ, 2. कैलाश पुत्र सोमनाथ समस्त निवासी ग्राम अहमदपुर नया गांव व 3. रोहित पुत्र अजीत 4. अनुज पुत्र भीनसैन निवासीगण मौहल्ला शुकलान कस्वा व थाना पिलखुवा व द्वितीय पक्ष के 1. नौरज पुत्र देशराज, 2. हेमन्त पुत्र रामवीर, 3. लोकेश पुत्र रामवीर 4. दीपक पुत्र रामवीर समस्त निवासीगण ग्राम अहमदपुर नया गाँव थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ झगडा करने वाले व्यक्तियों को इनके कृत्य जुर्म धारा 110,191(2),191(3), 115(2),352,351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से अवगत कराते हुए समय 6.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, महिला अभियुक्ता मगनवती व रेखा उपरोक्त को रात्रि का नावक्त होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मौके पर पड़े घटना में प्रयुक्त 03 अदद सरिया व 02 डण्डा कब्जे पुलिस में लिया गया जिनका हुलिया इस प्रकार 01 अदद सरिया जिसकी लम्बाई लगभग 04 बालिस्त व 01 अदद सरिया जिसकी लम्बाई लगभग 3 बालिस्त 08 अंगुल तथा बरामदा डण्डा लकडी जिसकी लम्बाई 04 बालिस्त 5 अंगुल को सफेद कपडे में सीलकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। चोटिलो को ईलाज कराया जा चुका है। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग का अक्षरश पूर्णतः पालन किया गया। व गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। फर्द मुझ 30नि0 द्वारा बोल–बोल कर अपने निजी लैपटाप मे टाईप की गयी तथा फर्द को पैनड्राइव मे सेव कर है0का0 592 बिजेन्द्र सिंह को सुपुर्द कर प्रिन्ट निकलवाने के लिए चौकी पर भेजकर 3 प्रिन्ट मगवाया गया है। फर्द को पुलिस कर्म० गण को पढ़कर सुनाकर अलामात बनवाऐ जाते है। ''

प्रार्थनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवेचना के उपरान्त प्रार्थनी/अभियुक्ता के विरूद्ध मु0अ0सं0 569/2025,अ0 धारा 110, 191(2), 191(3),115(2), 352,351(3), बी0एन0एस0,व 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधि0), थाना पिलखुवा ,जिला हापुड में अभियोग पंजीकृत है। दौरान विवेचना अभियुक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपित अपराध अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अभियोजन के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी0बी0आई0 में पारित दिशा निर्देशो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनी/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी/अभियुक्ता मगनवती पत्नी सोमनाथ गिरी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो पर स्वीकार किया जाता है–

<u>आदेश</u>

यदि प्रार्थनी/अभियुक्ता मगनवती पत्नी सोमनाथ गिरी को मु0अ0सं0 569/2025,अ0 धारा 110, 191(2), 191(3),115(2), 352,351(3), बी0एन0एस0,व 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधि0), थाना पिलखुवा ,जिला हापुड में गिरफतार किया जाता है तो प्रार्थनी/अभियुक्ता द्वारा रूपये 50,000/– के निजी बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोडा जाये–

1. प्रार्थी /अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ हेतु स्वयं उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी /अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी व वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. प्रार्थी /अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. प्रार्थी /अभियुक्त इस तरह का अपराध नहीं करेगा। इस तरह के अपराध में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
5. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने या डराने धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
6. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा विवेचना/विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना/न्यायालय को भेजी जाये।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।